न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 150/2016

1. कुलदीप
2. विक्रम
3. रविकुमार

पिसरान बालूराम जाति जाट निवासी रोहिड़ावाली डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)। —अपीलांट्स

बनाम

1. विमलादेवी
2. मोहनीदेवी
3. आत्माराम
4. राजेन्द्रकुमार
5. सुमित्रादेवी

पिसरान रामप्रताप जाति जाट निवासी मदेरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

6. सादुलसिंह
7. जमना
8. रूकमा
9. सुमित्रा

पिसरान इन्द्राज जाति जाट निवासी रोहिड़ावाली डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)।

10. कलावती पत्नी विजयसिंह
11. दारासिंह पुत्र विजयसिंह
12. विनोदकुमार पुत्र विजयसिंह

जाति जाट निवासी रोहिड़ावाली डबवाली जिला सिरसा(हरियाणा)

13. तुलसी देवी बेवा मेघाराम जाति जाट निवासी मदेरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
14. राजेन्द्र पुत्र मेघाराम जाति जाट निवासी मदेरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
15. सोहनलाल पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी रोहिड़ावाली डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)।

12/4/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

16. रतनाराम पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी रोहिड़ावाली डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)।
17. पृथ्वीराज पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी रोहिड़ावाली डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)।
18. साहबराम पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी मदेरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
19. केसर पत्नी फूसाराम जाति जाट निवासी मदेरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
20. जगदीश पुत्र फूसाराम जाति जाट निवासी मदेरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
21. सुभाष पुत्र फूसाराम जाति जाट निवासी मदेरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
22. सुमित्रा पुत्री फूसाराम जाति जाट निवासी मदेरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

23. कमलादेवी बेवा बलवंतराम
24. कविता
25. सुनीता — पि. बलवंतराम — जाति जाट निवासी किलांवाली तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)।
26. मनजीत कुमार
27. संजीव कुमार

28. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर।

—रेस्पोडेन्टान

अपील अन्तर्गत धारा 223 रा.का.अ. 1955

विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर दिनांक 01.07.2013 व संशोधित डिक्री दिनांक 04.07.2013

उपस्थितिः—

श्री ओमप्रकाश बतरा अभिभाषक अपीलार्थी

12/4/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

श्री सुभाष मिढा रेस्पो संख्या 1 सें 5

श्री इकबालसिह सिद्धु, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक :– 12.03.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण फूसाराम , साहबराम एवं बलवंतराम ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष राज.काश्त.अधि. की धारा 88 एवं भू राजस्व अधि. की धारा 136 के तहत पेश कर कथन किया कि चक 7 डी बडी व चक 2 एच बडा व गांव रोहिडावाली तहसील डबवाली दोनों जगह पर वादीगण के पिता की आराजी होने के कारण काश्त करने में काफी परेशानी उठानी पडती है जिस कारण वादीगण के पिता व प्रतिवादी सं. 1 से 3 ने आपस में उक्त भूमि का घरू विभाजन करीब 36 वर्ष पूर्व कर लिया था। उक्त विभाजन अनुसार वादीगण के पिता को प्रतिवादी सं. 2 व 3 ने अपने हिस्से की भूमि चक 2 एच बडा व 2 डी बडी में भूमि दे दी थी तथा प्रतिवादीगण के पिता के हिस्से की भूमि प्रतिवादी सं. 2 व 3 ने गांव रोहिडावाली की भूमि ले ली इस अनुसार काबिज चले आ रहे है। चक 7 डी बडी में इस विभाजन अनुसार 1/2 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था। लेकिन 1/4 हिस्सा दर्ज हो गया जिसे वादीगण दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। अतः निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार कर वाद पत्र के अनुतोष की मद सं. क, ख के अनुसार वाद डिक्री किया जावे।

प्रतिवादी रामप्रताप ने जबाब दावा पेश कर दावा खारिज करने का निवेदन किया।

प्रतिवादी सं. 1/1 से 1/5 ने कांउटर क्लेम पेश कर कथन किया कि चक 7 डी बडी के खाता सं. 22/24 में 65.15 बीघा में प्रतिवादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर अधी.न्यायालय द्वारा अनुतोष सहित 9 वाद बिन्दु कायम किये गये। सुनवाई करने के पश्चात अधी. न्यायालय ने दिनांक 01.07.2013 को दावा डिक्री कर दिया जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की है।

12/4/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि रोहिडावाली चक 2 एच बडा व चक 7 डी बडी की कुल 96 बीघा भूमि थी जिसमें शेराराम के 4 वारिस थे। प्रत्येक का 1/4 हिस्सा आता था। यह तथ्य अधी.न्यायालय के समक्ष मौजूद थे जिस पर गौर नहीं किया गया। अधी. न्यायालय ने अपीलांट के पिता का हिस्सा समाप्त करने में कानूनी भूल की है। अधी. न्यायालय ने तनकियात का निर्णय सही नहीं किया है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी थी। उसके बाबजूद भी अपील देरी से पेश की है। पूर्व में अपील संख्या 55/14 कमला देवी बनाम बिमला देवी पेश हुई थी जिसमें अपीलांट रेस्पों. थे। उक्त अपील में अपीलांट के अधिवक्ता उपस्थित हुए थे इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि अपीलाधीन आदेश का अपीलांट को ज्ञान न हो। अतः अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज योग्य है। इसके अतिरिक्त वकील रेस्पों. ने कथन किया कि पक्षकारों के मध्य घरू बंटवारा हो चुका था। उसी अनुसार वह काबिज चले आ रहे हैं। अपीलाधीन आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील अधी. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 01.07.2017 व संशोधित डिक्री दिनांक 04.07.2013 के विरूद्ध पेश हुई जिसमें गलत तनकियात विनिश्चय कर अपीलांट्स के पिता बालूराम राजस्व रिकार्ड में

12/3/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

रिकार्डेड खातेदार का नाम विधि विरूद्ध हटाया गया है। अतः अधी. न्यायालय का निर्णय अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया, अधी. न्यायालय में वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 एवं भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत दर्ज होकर निर्णय भी दोनों विधियों यथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व भू राजस्व अधिनियम के तहत किया जाना अपेक्षित था क्योंकि दोनों ही विधियों का scope अलग–अलग है परन्तु अधी. न्यायालय ने जो किया है वह speaking decision की परिभाषा में नहीं आता है। प्रकरण हाजा में विवाद की विषयवस्तु हरियाणा व राजस्थान की कृषि भूमियों का घरू बंटवारे के आधार पर Sub- Judge 1st class Dabwali (हरियाणा) द्वारा सिविल Suit 439/1985 में निर्णय दिनांक 24.07.1985 में जारी डिक्री को आधार मानकर दावा डिक्री किया है जिसमें गांव मदेरा के चक 7 डी बडी व चक 2 एच बडा की कुल कृषि भूमि 96.20 बीघा कृषि भूमि में से सादुलसिंह, जमनादेवी, रूकमादेवी, सुमित्रा देवी, विजय सिंह मृतक पुत्र इन्द्राज के वारिसान कलावती, तारासिंह, विनोद कुमार, कुलदीप, विक्रम , रविकुमार पिसरान बालूराम, तुलसी, राजेन्द्र, रूपाराम मृतक, सोहनलाल, रतनाराम, पृथ्वीराज पिसरान रूपाराम के नाम विलोपित करने के आदेश दिये है तथा फूसाराम, साहबराम, बलवन्तराम आत्मजन श्योकरण 1/2, बिमला देवी, मोहनीदेवी, आत्माराम, राजेन्द्र कुमार, सुमित्रा देवी 1/2 हिस्से के खातेदार घोषित किये है जो अभिभाषक अपीलांट की अपील मीमों की आपत्तियों अनुसार विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है, अपीलांट अभिभाषक ने अपनी बहस में जाहिर किया कि सिविल सब जज डबवाली का निर्णय सिविल प्रकिया संहिता के अन्तर्गत किया गया है जो General Law है एवं प्रकरण हाजा की सम्पत्ति राजस्थान में निहित होकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधान प्रभावी होगें जो Special Law है तथा विधि के सुस्थापित सिद्धांत अनुसार Special Law prevails over General Law तथा अधी. न्यायालय द्वारा Special Law राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत निर्णय पारित किया है यथा निर्णय

12/8/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

का आधार घरेलू बंटवारा दर्शाया है जबकि ऐसा कोई प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में नहीं है। राजस्थान की कृषि भूमियों के बंटवारे हेतु सन्दर्भ विधि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 है जिसकी Baring reading है कि (2)जोत का विभाजन निम्नलिखित विधि से किया जाएगा (i) सहअभिधारियों के बीच (क) जोत के ऐसे विभाजन (ख) उन विभिन्न प्रभागों जिनमें जोत उक्त प्रकार से विभाजित की जाए, पर लगान के वितरण के बारे में करार द्वारा या (ii) एक या अधिक सहअभिधारियों द्वारा जोत के विभाजन के प्रयोजनार्थ और उन विभिन्न प्रभागों जिनमें वह विभाजित की जाए पर लगाने के वितरण के प्रयोजनार्थ किसी वाद में सक्षम न्यायालय किसी डिक्री या आदेश द्वारा तथा इस धारा की कियान्वति हेतु राजस्थान काश्तकारी(बोर्ड आफ रेवेन्यू) नियमों के नियम 18 से 20 बने है जिसकी Baring reading है कि:–

नियम 18– जोत के विभाजन के लिए करार फाईल करना– एक जोत के विभाजन तथा लगाने के वितरण का सह–अभिधारियों द्वारा किया गया करार अधिकारिता वाले तहसीलदार के न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। तहसीलदार उस करार की शर्तों के अनुसार आदेश पारित करेगा और तद्नुसार जोत के विभाजन को प्रभावी(लागू) करेगा।

नियम 19– करार के आधार पर डिक्रीत वाद में जोत का विभाजन– यदि जोत के विभाजन के वाद के लम्बित रहने के दौरान उस वाद के सह–अभिधारी किसी करार(समझौते) पर आते हैं तो उस वाद को उस करार की शर्तों के अनुसार डिक्रीत किया जाएगा।

नियम 20– नियम 19 में उपबंधित को छोडकर, एक सक्षम न्यायालय द्वारा किसी एक या अधिक सहअभिधारी द्वारा लाए गए वाद में, जो जोत के विभाजन और उसके लगान को कई भागों पर जिनमें वह बांटी गई है वितरण करने के प्रयोजन से लाया गया हो डिक्री या आदेश द्वारा जोत का विभाजन करने में निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन किया जावेगा:–

12/8/16

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

(क) प्रत्येक पक्षकार को आवंटित भाग का मूल्यांकन उस जोत में उसके हिस्से (शेयर) से आनुपातिक होगा।

(ख) प्रत्येक पक्षकार को आवंटित भाग यथा सम्भव एक साथ (compact) होगा।

(ग) जहां तक सम्भव हो किसी पक्षकार को सारी हल्की या सारी उतम कोटि की भूमि नहीं दी जाएगी।

(घ) जहां तक सम्भव है विद्यमान खेतों के टुकडे नहीं किये जाएगें।

(ड.) भूखण्ड जो किसी अभिधारी के अलग कब्जे में है, यथा सम्भव, उनको उस अभिधारी को आवंटित किया जाएगा, यदि वह उसके हिस्से से अधिक नहीं हो।

राजस्थान की इस विधि के परिप्रेक्ष्य में अधी.न्यायालय का निर्णय न केवल bad decision है अपितु विधि विरूद्ध ही है होना जाहिर किया।

अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में जाहिर किया कि अपीलांट के पिता ने किसी भी दस्तावेज द्वारा अपना हिस्सा त्याग नहीं किया है जिसे आधार मानकर अधी.न्यायालय ने अपीलांट्स के पूर्वज की खातेदारी कलमजन की है, वह Abinitio- void है जाहिर किया है तथा यह भी जाहिर किया कि विवादित आराजी का प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल में विचाराधीन है फिर भी नया वाद दर्ज कर निर्णय किया है जो Resjudicata सिद्धांत से hit होता है।

अभिभाषक रेस्पों. द्वारा अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील 3 वर्ष 4 माह की देरी से पेश होना जाहिर कर मियाद के बिन्दु पर खारिज करने का अनुरोध किया। इस सम्बन्ध में प्रकरण का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करना न्यायोचित होने से अपील पेश करने में हुए विलम्ब को न्यायहित में माफ किया जाता है।

पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का विश्लेषण किया, उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन करने के पश्चात यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुचता है कि :-

12/8/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

1. अधी. न्यायालय की पत्रावली पर परिक्षित दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श EX-1 की विवादित भूमि का विवाद सन्दर्भ विधि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत ही किया जाना था जो अधी. न्यायालय ने नहीं किया यथा घरेलू बंटवारे के आधार पर दावा डिकी किया है जो राजस्व विधि में नहीं है जो सन्दर्भ विधि आर.टी.ए. की धारा 53 एवं इसके अधीन बने नियम 18 से 20 ही निर्णय के आधार हो सकते है जो नहीं है। अतः अपील स्वीकार योग्य है।
2. विधि का स्थापित सिद्धांत Special Law prevails over General Law प्रकरण हाजा में लागू होकर अधी. न्यायालय ने CPC General Law के तहत सब जज डबवाली की डिकी को आधार मानकर निर्णय पारित किया है जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 207 के प्रावधानुसार धारा 88 का वाद विनिश्चय सिर्फ राजस्व न्यायालय द्वारा ही किया जाना अपेक्षित है जो स्वतंत्र साक्ष्यों के आधार विनिश्चित योग्य है जो अधी. न्यायालय ने Civil Judge डबवाली की Findings को आधार मानकर निर्णय किया है जो अपास्त योग्य है।
3. पत्रावली पर अपीलांट के पिता द्वारा अपना हक त्याग आधार निर्णय किया वह भी परिक्षित नहीं हुआ है, न ही कोई दस्तावेज प्रदर्श डालकर पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

उपरोक्त बिन्दु सं. 1 से 3 तक के विवेचन अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधी. न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि दोनों पक्षों को सुनकर उपर विवेचित विधि अनुकूल गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/3/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर